दां.प्रकी.(जमा.) 4420/2004

07.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री अब्दुल लतीफ,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध्याय उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थीगण का तर्क है कि इस प्रकरण में अभियुक्तगण शेरूखां, रहीम खां एवं मोहम्मद फारूख से तफ्तीश हो चुकी है। अभियुक्तगण न्यायिक हिरासत में है। मजरूब के जो भी चोटें हैं गम्भीर नहीं पाई गई है, साधारण पाई गई हैं एवं कोई फ्रेक्चर भी नहीं पाए गए हैं। चोटें जीवन के लिए घातक हो इसकी भी साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो चुका है। अत: अभियुक्त-प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया और तर्क किया कि चाकुओ से जिस प्रकार से मारपीट की गई है, कत्ल करने की नीयत पाई जाती है, अत: अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा नहीं किया जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया एवं केस डायरी एवं चिकित्सक की रिपोर्ट का अवलोकन किया। चूंकि कोई गम्भीर चोटें नहीं पाई गई है न ही चिकित्सकीय राय ही रेकर्ड पर है कि चोटें जीवन के लिए घातक हो, प्रकरण में राजीनामा होना बताया गया है।

प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए बिना गुणावगुण पर राय दिए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण शेरूखां उर्फ शेरिया पुत्र गुलजार खां, रहीम खां पुत्र गुलजार खां एवं मोहम्मद फारूख पुत्र जहूर खां योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, प्रत्येक प्रार्थी बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा